(5)

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## पीठासीन अधिकारीः— श्रीमति कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 187 / 2013

| वादी :— | बनाम | प्रतिवादीगण :— |
|---|---|---|
| 01. मोटाराम पुत्र हुकमाराम जाति सिरवी निवासी— सरदारसमंद, तहसील— सोजत, जिला— पाली। | | 01. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारक तहसीलदार, सोजत |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थिति—

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक — 24/08/2015

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सरदारसमंद, पटवार हल्का सरदारसमंद, तहसील— सोजत के पुराने खसरा नम्बर 210/2 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 775, 783 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.6900 हैक्टर की कृषि भूमि वादी की पुरतैनी कब्जा काश्त सुदा व हक हकूक खाते दारी की आई हुई है। जिसमें वादी अपने पूर्वजों के समय से निरंतर आज दिन तक बिना किसी बाधा एवं रूकावट के शांतिपूर्वक तरीके से काबिज व काश्त करते आ रहे है। वादी के वंश वृक्ष में रामाराम जिनके दो पुत्र जेठाराम (फौत), हुकमाराम (फौत) थे, जिनमें जेठाराम की पत्नी मूलकी की लाऔलाद फौत हो गई और हुकमाराम के पुत्र मोटाराम है। उपरोक्त वंशावली में वादी व उसकी जाइंदा माता नोजकी आज भी जीवित है। अन्य सब फौत हो चुके हैं। पूर्व में वादस्थ कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार वादी की बडी माता मुसम्मत मूलकी पत्नी जेठाराम के नाम से संवत 2029 से 32 तक की जमाबंदी में दर्ज है। स्व.
वर्तमान खसरा संख्या 775, 783 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.6900 हैक्टर की कृषि
रामाराम के सम्पूर्ण परिवार संयुक्त परिवार था तथा सभी पक्षकार एक ही छत के नीचे निवास करने वाले थे, जिनकी सम्पूर्ण संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति थी। रामाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्र जेठाराम व हुकमाराम का विवाह किया था। जेठाराम का विवाह मूलकी के साथ हुआ था हुकमाराम का विवाह नौजकी के साथ हुआ। जेठाराम के कोई औलाद नही थी परंतु हुकमाराम का एक पुत्र मोटाराम है। हुकमाराम व जेठाराम की मृत्यु कुए में गिरने के कारण एक साथ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद मुलकी पत्नी जेठाराम ने अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि एक

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मात्र वारिस वादी को सुपुर्द कर नाते चली गई जहां पर कुछ महिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। वादी अपने परिवार के साथ सम्पूर्ण कृषि भूमि पर काबिज है व काश्त करता आ रहा है। मूलकी के नाते चले जाने के समय तक मूलकी की कोई औलाद नहीं थी, इसी दरम्यान सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा सेटलमेन्ट कार्यवाह की जाती रही थी, तब गांव के मौजिज व्यक्ति सरपंच जब्बरसिंह, हुकमाराम पुत्र मोती सिरवी, नारायण पुत्र हीरा, लखाराम पुत्र लुम्बाराम सिरवी, व वादी स्वयं उपस्थित था, उक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियो द्वारा पर्चा खतौनी पत्रक तैयार किया गया जिसमें मोटाराम पुत्र जेठाराम नाम दर्ज किया गया था। जबकि मोटाराम जेठाराम का जाईदा पुत्र न होकर हुकमाराम का जाईदा पुत्र है तथा वादी आज भी संयुक्त परिवार का एक मात्र जीवित सदस्य होने व हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार विधिक वारिस होने के नाते आज भी वादस्थ कृषि भूमि पर काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मोटाराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र जेठाराम नाम दर्ज किया है जो गलत है, सेटलमेन्ट अधिकारियों को वल्दियत में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। दिनांक 01.07.2013 को वादी द्वारा बैंक से ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तत्पश्चात उपरोक्त अशुद्धि की सर्वप्रथम जानकारी वादी को हुई। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा उक्त अशुद्धि को शुद्ध करवाने हेतु दिनांक 10.07.2013 को तहसीलदार सोजत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया परंतु उक्त अशुद्धि को शुद्ध नहीं किया गया। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद पत्र पेश कर सरहद मौजा सरदारसमंद, पटवार हल्का सरदारसमंद, तहसील– सोजत के पुराने खसरा नम्बर 210/2 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 775, 783 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.6900 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि भूमि मौजा सरदारसमंद में स्थित है। वाद पैरा में वर्णित तथ्य वादी स्वयं साबित करे। पैरा संख्या तीन में वादी स्वयं साक्ष्य सबुत पेश करे। पैरा संख्या 04 अस्वीकार है और पैरा संख्या 05 लगायत 07 कानूनी होना जाहिर किया है।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा मिलान सरहद मौजा सरदासमंद की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रमाणित प्रति पर्चा लगान संख्या 220, प्रमाणित प्रति पर्चा खतौनी गांव सरदारसमंद , प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2041 से 2044, 2043 से 2046, प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रति जमाबदी वर्तमान खसरा संख्या 775 वगैरा, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र मूल की प्रति पेश की है।

प्रस्तुत वादपत्र व जबाबदावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

01 आया ग्राम सरदारसमंद में पुराने खसरा नम्बर 210/2 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा जिसके वर्तमान नम्बर 775, 783 कुल रकबा 1.6900 हैक्अर में वादी का पुश्तैनी कब्जा काश्त है। आज भी लगातार कब्जा वादी का चल रहा है।
जिम्मे वादी।

02 आया– वादी का वंशवृक्ष रामाराम के पुत्र जेठाराम फौत होने से मूलकी लाऔलाद फौत होने से कोई वारिस नहीं है। रामाराम के द्वितीय पुत्र हुक्माराम फौत के पुत्र मोटाराम ने वादी की हैसियत से वाद प्रस्तुत किया है।
जिम्मे वादी।

03 आया– वादी ही एक मात्र परिवार का उतराधिकारी है। रामाराम के जीवनकाल में अपने दोनों पुत्रों का विवाह किया था। मूलकी पत्नी जेठाराम ने अपनी सम्पूर्ण सम्पति वादी को सुपुर्द कर दी गई थी। मूलकी नाते चली गई थी।
जिम्मे वादी।

04 वादी स्वयं पैरा के तथ्यों को साबित करें। जिम्मे प्रतिवादी।

05 वादी का दावा म्याद बाहर है, जो खारिज योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी।

06 दादरसी।

शहादत वादी में बयान वादी मोटाराम के पीडब्ल्यू 01 कलमबद्ध कराए गए, जिसमे जमाबन्दी संवत् 2029 से 32 प्रदर्श 01, खसरा मिलान प्रदर्श 02 पर्चा लगान प्रदर्श 03, पर्चा खतौनी प्रदर्श 04, जमाबंदी संवत 2041 प्रदर्श 05, जमाबंदी , संवत् 2042 से 46 प्रदर्श 06, नोटिस की प्रति प्रदर्श 07, जारी नोटिस की पावती रसीद प्रदर्श 08, डाक की मूल रसीद प्रदर्श 09, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 10ए, आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 11ए, राजस्थान ग्रामीण बैक की मूल पासबुक प्रदर्श 12ए, राशन कार्ड की प्रति प्रदर्श 13ए है। पीडब्ल्यू 02 नरपतसिंह के बयान भी लेखबद्ध कराए गए।

बहस अधिवक्ता वादी तथा तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि वादी के वंश वृक्ष में रामाराम जिनके दो पुत्र जेठाराम (फौत), हुकमाराम (फौत) थे, जिनमें जेठाराम की पत्नी मूलकी की लाऔलाद फौत हो गई और हुकमाराम के पुत्र मोटाराम है। उपरोक्त वंशावली में वादी व उसकी जाइंदा माता नोजकी आज भी जीवित है, अन्य सब फौत हो चुके हैं। रामाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्र जेठाराम व हुकमाराम का विवाह किया था। जेठाराम

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

का विवाह मूलकी के साथ हुआ था हुकमाराम का विवाह नौजकी के साथ हुआ। जेठाराम के कोई औलाद नही थी परन्तु हुकमाराम का एक पुत्र मोटाराम है। ऐसी स्थिति मे कुछ समय बाद मूलकी पत्नी जेठाराम ने अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि एक मात्र वारिस वादी को सुपुर्द कर नाते चली गई जहा पर कुछ महिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। मूलकी के नाते चले जाने के समय तक मूलकी की कोई औलाद नहीं थी, इसी दरम्यान सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा सेटलमेन्ट कार्यवाह की जाती रही थी, तब गांव के मौजिज व्यक्ति सरपंच जब्बरसिंह, हुकमाराम पुत्र मोती सिरवी, नारायण पुत्र हीरा, लखाराम पुत्र लुम्बाराम सिरवी व वादी स्वयं उपस्थित था, उक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियो द्वारा पर्चा खतौनी पत्रक तैयार किया गया जिसमें मोटाराम पुत्र जेठाराम नाम दर्ज किया गया था जबकि मोटाराम जेठाराम का जाईदा पुत्र न होकर हुकमाराम का जाईदा पुत्र है जिसे दुरूस्त किये जावे। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण एवं जिरह प्रतिवादी पर लिये गये बयानात एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानात तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की मय नजरी नक्शा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बाद विवेचन / विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

1. **आया– ग्राम सरदारसमंद में पुराने खसरा नम्बर 210/2 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा जिसके वर्तमान नम्बर 775, 783 कुल रकबा 1.6900 हैक्टर में वादी का पुश्तैनी कब्जा काश्त है। आज भी लगातार कब्जा वादी का चल रहा है।**

**(जिम्मे वादी)**

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा पर्चा लगान प्रदर्श 03 जिसमें खातेदार का नाम मोटा वल्द जेठा कौम सिरवी दर्ज सुदा है। पर्चा खतौनी प्रदर्श – 4 में अंकित नोट अनुसार स्पष्ट हे कि मूली देवी नाते गई है तथा मोटा को जेठा का एकलौता लडका मानते हुए खसरा नम्बर 775, 783 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.68 हैक्टर भूमि में मूली का नाम खारिज कर मोटा पुत्र जेठा अंकित किया गया है। तत्पश्चात प्रदर्श–05 जमाबन्दी सम्वत 2041, जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046 प्रदर्श 06 में नाम मोटा वल्द जेठा अंकित चला आ रहा है। इसी प्रकार तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में मोटा वल्द जेठा का नाम वक्त एकीकरण के समय से आज तक दर्ज होना अंकित किया है जिससे तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

2 आया वादी का वंशवृक्ष रामाराम के पुत्र जेठाराम फौत होने से मूलकी लाऔलाद फौत होने से कोई वारिस नहीं है। रामाराम के द्वितीय पुत्र हुक्मारा फौत के पुत्र मोटाराम ने वादी की हैसियत से वाद प्रस्तुत किया है।

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वंशावली में मूल पुरूष रामाराम (फौत) के दो पुत्र 01 हुकमाराम (फौत) 02 जेठाराम (फौत) होना अंकित किया है। हुकमाराम की पत्नी नातवे हुई जिनके वादी मोटाराम स्वयं हुए। इसी प्रकार जेठाराम फौत होने से मूलकी पत्नी व चुतराराम अविवाहित नाबालिग एव लाऔलाद (फौत) हो गये एवं गोगली पुत्री हुई। इसी प्रकार प्रदर्श 04 पर्चा खतौनी में अंकित नोट से खसरानम्बर 775 व 783 रकबा 1.68 हैक्टर मे मूली नाते जाने व जेठा के एक मात्र उतराधिकारी मानते हुए मोटा पुत्र जेठा अंकित किया गया एव इसी अनुरूप पश्चातवर्ती जमाबन्दी में नाम मोटा वल्द जेठा अंकित सुदा है। नैनाराम हुए ,जिनके द्वो विधिक वारिसान कमश मालाराम व रतनाराम हुऐ थे। मूल पुरुष नैनाराम फौत हो चुके है। मालाराम भी लाऔलाद फौत हुये है। रतनाराम द्वारा अपने जीवन काल में एक रजि0 वसीयत की जाकर अपना हक हिस्सा बुधाराम उर्फ कुताराम को हस्तान्तरित कर दिया गया जो प्रदर्श–2 से स्पष्ट होता है। उक्त वसियत में बुधाराम उर्फ कुताराम की वल्दियत मालाजी अंकित सुदा है। लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

3 **आया– वादी ही एक मात्र परिवार का उतराधिकारी है। रामाराम के जीवनकाल में अपने दोनों पुत्रों का विवाह किया था। मूलकी पत्नी जेठाराम ने अपनी सम्पूर्ण,सम्पति वादी को सुपुर्द कर दी गई थी। मूलकी नाते चली गई थी।**

**जिम्मे वादी।**

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा पर्चा– लगान प्रदर्श 03 जिसमें खातेदार का नाम मोटा वल्द जेठा कौम सिरवी दर्ज सुदा है। पर्चा खतौनी प्रदर्श – 4 में अंकित नोट अनुसार स्पष्ट हे कि मूली देवी नाते गई है तथा मोटा को जेठा का एकलौता लडका मानते हुए खसरा नम्बर 775, 783 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.68 हैक्टर भूमि मे मूली का नाम खारिज कर मोटा पुत्र जेठा अंकित किया गया है। ततपश्चात प्रदर्श–05 जमाबन्दी सम्वत 2041, जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046 प्रदर्श 06 में नाम मोटा वल्द जेठा अंकित चला आ रहा है। प्रस्तुत गवाह मय शपथ पत्र व न्यायालय में प्रस्तुत वंशावली अनुसार एवं प्रदर्श 04 पर्चा खतौनी में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अंकित नोट के अनुसार वादी को ही खसरा नम्बर 775 व 783 मे खातेदार अंकित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि मूल पुरूष रामाराम के जिवित एक मात्र वारिसान मोटाराम को मानते हुए पर्चा खतौनी मे इद्राज किया गया है। इसके अतिरिक्त गवाहो के शपथ पत्र व ब्यानो से भी मोटाराम को वारिस बताया गया है। जिससे तनकीसंख्या 03 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

04 वादी स्वयं पैरा के तथ्यों को साबित करें। जिम्मे प्रतिवादी।

प्रतिवादी शहादत प्रतिवादी पेश करने में विफल रहे लिहाजा तनकी संख्या 04 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

05 वादी का दावा म्याद बाहर है, जो खारिज योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी।

प्रतिवादी शहादत प्रतिवादी पेश करने में विफल रहे लिहाजा तनकी संख्या 04 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

06. दादरसी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वादपत्र, जबाब दावा फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद के जरिये अपनी गलत इन्द्राज वल्दियत को दुरूस्त किये जाने हेतु ईश्तदुआ की है। वादी के पिता का नाम हुकमाराम था जो कि दस्तावेज प्रदर्श– 13ए, प्रदर्श – 12ए, प्रदर्श – 11ए, से स्पष्ट होता है। प्रस्तुत वंशावली अनुसार रामाराम के दो पुत्र हुकमाराम व जेठाराम हुए जिसमें मोटाराम की वल्दिय हुकमाराम के स्थान पर जेठाराम अंकित हो गई जबकि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो सबुतो व बयान गवाहो के आधार पर वादी मोटाराम की वल्दियत जेठाराम नही होकर हुकमाराम अंकित हो गई। जेठाराम मोटाराम के पिता के भाई थे जो फौत हो चुके है। प्रदर्श – 04 पर्चा खतोनी मे मोटाराम को खसरा नम्बर 775, व 783 का खातेदार मानते हुए इन्द्राज किया है। लिहाजा वादी का वाद प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो बयान गवाहो व तनकीयात विवचेन से साबित होता है। फलतः सरहद मौजा ग्राम सरदार समन्द के के वर्तमान खसरा नम्बर 775 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 783 रकबा 1.6200 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी की वल्दियत जेठाराम के स्थान पर हुकमाराम किया जाना न्यायोचित समझते है।

## –: आदेश :–

अतः माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जारी है कि अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सरदार समन्द के के वर्तमान खसरा नम्बर 775 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 783 रकबा 1.6200 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी की वल्दियत जेठाराम के स्थान पर हुकमाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाबा दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ020 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 187 / 2013

| वादी :– | बनाम | प्रतिवादीगण :– |
|---|---|---|
| 01 मोटाराम पुत्र हुकमाराम जाति सिरवी निवासी– सरदारसमंद, तहसील सोजत, जिला– पाली। | | 01 राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारक तहसीलदार, सोजत |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या : 56 / 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादीगण श्री अर्जुनसिह राजपुरोहित तथा तहसीलदार सोजत प्रतिवादीगण है कि माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम सरदार समन्द के के वर्तमान खसरा नम्बर 775 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 783 रकबा 1.6200 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी की वल्दियत जेठाराम के स्थान पर हुकमाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

तहरीर मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/6/24 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

| मददई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा, | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | | |
| मददई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |